संख्या-52/2019/955/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च 2019

विषय:- **रिट याचिका संख्या-14718/एम0बी0/2016 सचिन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री सचिन कुमार के सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पर व्यय होने वाले अतिरिक्त शुल्क तथा हॉस्टल/मेस की धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4106/स0क0/शिक्षा-अ/04/149/2018-19, दिनांक-05.03.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त श्री सचिन कुमार के सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पर व्यय होने वाले अतिरिक्त शुल्क तथा हॉस्टल/ मेस की धनराशि **रूपये-4.76 लाख (रू0-चार लाख छिहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी थी, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-53/2019/955(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।